मध्यप्रदेश विधान सभा

क्रमांक-4

संक्षिप्त कार्य विवरण

पत्रक भाग-एक

शुक्रवार, दिनांक 17 फरवरी, 2006 (माघ 28, 1927)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.30 बजे समवेत हुई.

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

1. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित प्रश्नों में से 16 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये।

(श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य प्रश्नकाल के दौरान उनकी बात न सुनी जाने के विरोध में गर्भगृह में आकर अपनी बात कहने लगे तथा कुछ समय पश्चात् अध्यक्ष महोदय के अनुरोध पर वापस अपने आसन पर चले गये)

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी के नेतृत्व में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के सदस्यों द्वारा शासन से प्रश्नों की जानकारी नहीं मिलने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 39 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 44 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

2. नियम 267-क के अधीन विषय

(1) श्री उम्मेद सिंह बना, सदस्य ने पहाड़गढ़ जिला मुरैना में महिला बाल विकास विभाग द्वारा संचालित योजनाओं को लाभ न मिलने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना दिमनी विधान सभा के गांव खदियाहार में ट्रान्सफार्मर खराब होने से बिजली का संकट होने,

(3) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने खरगौन जुलवानिया राजपुर बड़वानी से बडौदा मार्ग जीर्ण-शीर्ण होने,

उपाध्यक्ष महोदय (श्री हजारीलाल रघुवंशी) पीठासीन हुए.

(4) श्री गिरिराज मण्डलोई, सदस्य ने शाजापुर जिले के तहसील शुजालपुर के ग्राम अवन्तीपुर बडोदिया से ग्राम खामखेड़ा (तहसील आष्टा) मार्ग की जर्जर हालत होने,

(5) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर के घाटी गांव जनपद में आदिवासियों की 1000 बकरिया डकैतो द्वारा लूट कर ले जाने,

(6) श्रीमती सरोज बच्चन नायक, सदस्य ने कटनी जिले के बड़वारा विकासखंड में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तथा उप स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सकों की कमी होने,

संबंधी शून्यकाल की सूचनाएं प्रस्तुत की।

3. पत्रों का पटल पर रखा जाना

(1) श्री राघवजी, वित्त मंत्री ने मध्यप्रदेश राजकोषीय उत्तरदायित्व एवम् बजट प्रबंधन अधिनियम, 2005 (क्रमांक 18 सन् 2005) की धारा 12 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वित्त विभाग की अधिसूचना क्रमांक 29-एफ-15-6-2005-चार-ब-आनिविई, दिनांक 30 जनवरी, 2006,

(2) श्री हिम्मत कोठारी, वन मंत्री ने मध्यप्रदेश लोक वानिकी अधिनियम, 2001 (क्रमांक 10 सन् 2001) की धारा 11 की उपधारा (3) की अपेक्षानुसार वन विभाग की अधिसूचना क्रमांक एफ-25-15-05-दस-2,दिनांक 18 जनवरी, 2006, तथा

(3) श्री नागेन्द्र सिंह, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 323 (2) की अपेक्षानुसार मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग का वर्ष 2004-2005 का अड़तालीसवां वार्षिक प्रतिवेदन (दिनांक 01.04.2004 से 31.03.2005) तथा वर्ष 2004-2005 का स्पष्टीकरणात्मक ज्ञापन,

पटल पर रखे।

4. ध्यानाकर्षण

(1) श्री सज्जन सिंह वर्मा, सदस्य ने अशोक नगर जिले के चंदेरी नगर में पेयजल संकट से उत्पन्न स्थिति की ओर नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा, सदस्य ने रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र अंतर्गत सिंचाई योजनाओं से सिंचाई हेतु पानी न मिलने से उत्पन्न स्थिति की ओर जल संसाधन मंत्री का ध्यान आकर्षित किया।

श्री अनूप मिश्रा, जल संसाधन मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

5. याचिकाओं की प्रस्तुति

(1) श्री हुकुमचन्द यादव, सदस्य ने खरगौन जिले के बड़वाह नगर के पास स्थित केडिया ग्रुप की शराब फैक्ट्री के दूषित जल से नर्मदा नदी को प्रदूषित होने से बचाये जाने,

(2) श्री गजराज सिंह सिकरवार, सदस्य ने मुरैना जिले के ग्राम मोघना को क्वारी नदी के कटाव से बचाये जाने, एवं

(3) श्री बृजेन्द्र तिवारी, सदस्य ने ग्वालियर जिले के -

(क) ग्राम मोहना से सिकरावली तक सड़क बनाये जाने,

(ख) ग्राम चैत देवरी से करहिया तक सड़क बनाये जाने,

(ग) ग्राम मोहना से ककेटा एवं ककेटा से दीवान फार्म तक सड़क बनाये जाने,

(घ) ग्राम जखोदा से सिकरावली तथा सिकरावली से दौरार तक सड़क बनाये जाने, तथा

(ङ) कुलैथ रोड बारादरी से कालाखेत तक सड़क बनाये जाने,

संबंधी याचिकाएं प्रस्तुत कीं।

6. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य ने अपना भाषण पूर्ण किया।

(1) श्री वंशमणि प्रसाद वर्मा

(2) श्री सज्जन सिंह वर्मा

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

(3) श्री रामलखन शर्मा

(4) श्री इन्द्रजीत कुमार

सभापति महोदय (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए.

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(6) श्री किशोरीलाल वर्मा

(7) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

(8) श्री दुर्गालाल विजय

(नेता प्रतिपक्ष, श्रीमती जमुना देवी द्वारा कोरम के अभाव में सदन की कार्यवाही चलते रहने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(2.00 बजे से 2.03 बजे तक कोरम के अभाव में घंटी बजती रही)

(9) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(10) श्री शांतिलाल धवई

(11) श्री बहादुर सिंह चौहान

(चर्चा अपूर्ण)

7. घोषणा

अध्यक्ष महोदय द्वारा घोषणा की गई कि मध्यप्रदेश विधानसभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियम-23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घंटे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य सम्पादन के लिए नियत हैं।

तीन बजे तक महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर चर्चा होगी। इसके बाद ढाई घंटे अशासकीय कार्य के लिए होंगे।

मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है।

सदन द्वारा सहमति प्रदान की गई।

8. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

(12) श्रीमती सुनीता बेले

(चर्चा अपूर्ण)

सभापति महोदया (श्रीमती सुधा जैन) पीठासीन हुई.

9. सूचना

श्री शिवराज सिंह चौहान, मुख्यमंत्री ने सभापति महोदय की अनुमति से सदन को सूचित किया कि प्रदेश में पुलिस डकैतों के खिलाफ अभियान चलाने के अंतर्गत पन्ना जिले के अजयगढ़ क्षेत्र में दुर्दात डकैत श्री गुलबदन सिंह को पुलिस के द्वारा मार गिराया गया है, जिसके लिए मैं पुलिस प्रशासन को बधाई देता हूं।

10. राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत कृतज्ञता ज्ञापन प्रस्ताव और संशोधनों पर चर्चा का पुनर्ग्रहण (क्रमशः)

(13) श्री शंकरलाल तिवारी
(14) श्री गोविन्द सिंह पटेल
(15) श्री नानालाल पाटीदार
(16) डॉ. राजेन्द्र पाण्डेय
(17) श्री घनश्याम सिंह

(चर्चा अपूर्ण)

11. अशासकीय संकल्प

(1) श्री लाल सिंह आर्य, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

" सदन का यह मत है कि प्रदेश में सफाई कामगार विकास प्राधिकरण का गठन किया जावे" तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री राजनारायण सिंह पुरनी
(2) श्री दुर्गालाल विजय
(3) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

श्री जयंत मलैया, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

सदन की अनुमति से संकल्प वापस हुआ।

12. औचित्य प्रश्न और व्यवस्था

श्री रामलखन शर्मा, सदस्य ने "प्रदेश में सफाई कामगार विकास प्राधिकरण का गठन किया जावे" के मामले पर औचित्य का प्रश्न उठाया कि मैने समय पर डिवीजन मांगा है। मेरे ख्याल से सदन में इस तरह से पहली बार हो रहा है । सदन नियम और प्रक्रिया से चलता है, ये मेरा अधिकार है।

अध्यक्ष महोदय (श्री ईश्वरदास रोहाणी) पीठासीन हुए.

व्यवस्था

अध्यक्ष महोदय ने इस पर व्यवस्था दी कि शासकीय संकल्प और अशासकीय संकल्प की स्थिति भिन्न होती है, जब शासन यहां कोई शासकीय संकल्प प्रस्तुत करता है, तो शासन को उसको वापस लेने का अधिकार नहीं होता है, उसमें सदन में मांग किये जाने पर डिवीजन भी होता है, बहुमत से सिद्ध होता है कि वह विधेयक या संकल्प पारित किया जाये या अस्वीकार किया जाये. अशासकीय संकल्प में स्थिति भिन्न है। मैं अत्यंत विनम्रतापूर्वक बुद्धिमान सदस्य को बताना चाहता हूं कि श्री लालसिंह आर्य जी जब अपना संकल्प वापिस ले लेते हैं और संकल्प सदन की अनुमति से वापस हो जाता है, तब आपके डिवीजन मांगने की जरूरत कहाँ बचती है, जो चीज अस्तित्व में नहीं है, उस पर क्या डिवीजन कराया जाये ? मैं नही समझता कि इसकी आवश्यकता है।

(श्री रामलखन शर्मा,डॉ.आई.एम.पी. वर्मा,सदस्य सहित श्री राजनारायण सिंह पुरनी, सदस्य के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी के सदस्यों ने "प्रदेश में सफाई कामगार विकास प्राधिकरण का गठन किया जावे" संबंधी अशासकीय संकल्प के मामले पर उनकी डिवीजन की मांग न माने जाने के विरोध में सदन से बहिर्गमन किया गया)

(श्री उमाशंकर गुप्ता, सदस्य की सदन से अनुपस्थिति के कारण "भोपाल शहर के समस्त वार्डों को गैस प्रभावित घोषित किया जावे" संबंधी अशासकीय संकल्प प्रस्तुत नहीं हो सका)

(3) श्री शरद जैन (एडव्होकेट), श्रीमती सरोज बच्चन नायक, डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य ने संकल्प प्रस्तुत किया कि -

" सदन का यह मत है कि धोबी/रजक जाति को सम्पूर्ण मध्यप्रदेश के लिये अनुसूचित जाति में सम्मिलित किया जावे "

निम्नलिखित सदस्यों ने चर्चा में भाग लिया :-

(1) श्री शरद जैन (एडवोकेट)

सभापति महोदया (श्री लाल सिंह आर्य) पीठासीन हुए.

(2) श्रीमती सरोज बच्चन नायक

(3) डॉ. निशिथ पटेल

(4) श्री राजनारायण सिंह पुरनी

(5) डॉ. आई.एम.पी. वर्मा

(6) डॉ. गोविन्द सिंह

श्री जगदीश देवड़ा, अनुसूचित जाति कल्याण मंत्री ने चर्चा का उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

04.19 बजे विधान सभा की कार्यवाही सोमवार, दिनांक 20 फरवरी, 2006 (फाल्गुन 1, 1927) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई.

डॉ. ए.के.पयासी
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा.